अपील
04/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/07/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट हाजिर। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। नामान्तरण संख्या 30 दिनांकित 10.06.2018 का अवलोकन किया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (रेनू मीणा) उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	2783-84 5/8/19

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 01/2018

1. जोरा दे[illegible] बेवाह स्व. लादूराम
2. रामकरण पुत्र लादूराम जाति जाट निवासीगण ग्राम मरडाटू बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

अपीलाण्ट

बनाम

1. छोटी देवी बेवाह डालूराम
2. नन्दलाल पुत्र डालूराम
3. रामलाल पुत्र डालूराम
4. इन्द्रा देवी पुत्री किशनाराम
5. गणपत सिंह पुत्र किशनाराम
6. मेघसिंह पुत्र किशनाराम
7. श्याना देवी पुत्री किशनाराम
8. चवली देवी बेवाह किशनाराम
9. सरपंच ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा
10. पटवारी हल्का बीबीपुर छोटा
11. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राज0

......रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 30 दिनांकित 10.06.2018 ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा द्वारा तस्दीकशुद्धा

उपस्थित अधिवक्ता

श्री त्रिलोक सिंह महला– अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 17.07.2019

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर पुराना 38/2 रकबा 3.1500हैक्टेयर का खसरा नम्बर नया 60 रकबा 1.5800हैक्टेयर व खसरा नम्बर 61 रकबा 1.5700हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.1500हैक्टेयर व खते खसरा नम्बर पुराना 45/2 रकबा 5.9900हैक्टेयर का नया खसरा नम्बर 71 रकबा 1.7200हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.6200हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.6100हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 रकबा 1.1000हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 1.9400हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 5.9900हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर पुराना 64 रकबा 2.0500हैक्टेयर का नया खसरा नम्बर 97 रकबा 2.0500 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर पुराना 107 रकबा 1.2800हैक्टेयर का

न्यायालय उपखण्ड अधि[illegible]

उपखण्ड अधिकारी

नया खसरा नम्बर 177 रकबा 1.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर पुराना 117/1 रकबा 5. 7200हैक्टेयर का नया खसरा नम्बर 189 रकबा 0.0100हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 5. 700हैक्टेयर कुला किता 02 रकबा 5.7100हैक्टेयर व खसरा नम्बर पुराना 131 रकबा 4. 1200हैक्टेयर नया खसरा नम्बर 207 रकबा 1.400हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 1. 3800हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.3400हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 4. 1200हैक्टेयर कुल किता पुराना 06 व नया 14 कुल रकबा 22.300हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मरडाटू बड़ी तहसील फतेहपुर में स्थित है।

उक्त भूमियों में हम पक्षकारान के पूर्वज दादा खरताराम को जरिये विरास्तन 1/3 हिस्सा भूमि भाग प्राप्त हुआ था जिनके अन्तकाल के बाद उक्त भूमियों का 1/3 हिस्सा भूमि भाग का खाता विधिवत प्रार्थीगण के दादा खरताराम के विधिक वारिसान उनके पुत्रों के वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया था।

उक्त भूमियों का खाता प्रार्थीगण के पूर्वज खरताराम के स्थान पर उनके पुत्र किशनाराम, पैमा, डालू के नाम 1/4 हिस्सा व उनके पुत्र लादू के स्थान पर उनके वारिसान जोरा बेवाह लादू व रामकरण पुत्र लादू के नाम 1/12 हिस्सा भूमि भाग का खाता बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया था।

प्रार्थी के पूर्वज ताउ पैमाराम की अविवाहित लाओलाद की मृत्यु हो जाने पर पैमाराम के नाम बनी उसके 1/12 हिस्सा भूमि भाग की खातेदारी उसके वैध वारिसान सगे भाई किशनाराम व डालूराम के तथा लादूराम के वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 362 गलती से पैमाराम के 1/12 हिस्सा भूमि भाग की खातेदारी अकेले डालूराम के वारिसान व किशनाराम के नाम दर्ज कर दी गई तथा लादूराम के वारिसान के नाम दर्ज होने से वंचित रह गई।

हम अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने पर उक्त नामान्तकरण संख्या 362 को निरस्त करने बाबत मान्य न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 06.03.2009 को पेश की गई जिसमें मान्य न्यायालय द्वारा हम अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर दिनांक 19.08. 2009 को नामान्तकरण संख्या 362 ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा के आदेश को खारिज कर आदेशित किया गया था कि उक्त पैमाराम के 1/12 हिस्सा भूमि भाग का नामान्तकरण सभी पक्षकारान को पुनः सुनकर स्वीकार किया जावे और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु सरपंच ग्राम पंचायत बीबीपुर को भेजी जावे जिसके निर्देशानुसार दिनांक 02.09. 2009 को मान्य न्यायालय के निर्देशन से पत्र क्रमांक संख्या 2505 को उक्त आदेश की नकल ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा को प्रेषित की जा चुकी है बावजूद उसके आदेश की पालनार्थ आज तक ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा द्वारा नामान्तकरण संख्या 362 के आदेश को ना तो निरस्त किया गया है तथा ना ही पक्षकारान को सुना जाकर मान्य न्यायालय के आदेश की पालना की गई है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा पूर्व में नामान्तकरण संख्या 362 को दिनांक 19.08.2009 को मान्य न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के बाद भी उक्त नामान्तकरण को आधार मानकर ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 08 को साज कर पुनः 10.06.2018 को नामान्तकरण संख्या 30 दर्ज कर ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 08 के द्वारा तस्दीक करवा लिया गया जो गलत व निराधार होने से निम्न आधारों पर खारीज किये जाने योग्य है।

(क) यह कि ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा द्वारा पूर्व में तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 362 को मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2009 को ही निरस्त किया जा चुका है इसलिए नामान्तकरण संख्या 362 के आधार पर दर्ज खातेदारान के नाम की भूमि की विरास्त का नामान्तकरण ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा को दर्ज करने का कोई हक अधिकार नहीं रह जाता है।

(ख) यह कि नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 10.06.2018 के दौरान खातेदार एवं किशनाराम पुत्र खरता के वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है लेकिन उक्त नामान्तकरण से पूर्व नामान्तकरण संख्या 362 के द्वारा दिनांक 19.08.2009 को निरस्त किया जा चुका है इसलिए उक्त नामान्तकरण संख्या 30 निरस्त किये जाने योग्य है।

(ग) यह कि नामान्तकरण संख्या 362 को मान्य न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने की सूचना ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा को मान्य न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 19.08.2009 को ही दी जा चुकी है जिसकी सूचना होने के बावजूद भी संबंधित हल्का पटवारी तथा सरपंच ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा द्वारा नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 10.06.2018 को बिना सभी पक्षकारों की सुनवाई कर केवल मात्र रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 08 से साज कर गलत और निराधार बिना हक अधिकार के तस्दीक कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित नामान्तकरण संख्या 30 दिनांकित 10.06.2018 स्थानीय ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा तहसील फतेहपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.10.2018 को अपने खेत की जमाबन्दी निकलवायी तब अपीलान्ट को जैर अपील नामान्तकरण संख्या 30 दिनांकित की जानकारी हुई तब से अपील अन्दर मियाद एवं उचित न्यायशूल्क पर श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट विरुद्ध रेस्पोडेन्टस एवं आज्ञा ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा बाबत नामान्तकरण संख्या 30 दिनांकित 10.06.2018 पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 30 दिनांकित 10.06.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे तथा पूर्व में आदेशित आदेश की तत्काल पालनार्थ रेस्पोडेन्टस संख्या 09 व 10 को लिखा जाकर अपीलान्ट का नाम खातेदारी में सही हिस्सा अनुसार दर्ज करने की कृपा करें।

मिसल मर्तिब की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गयी। रेस्पोडेन्टस संख्या 1

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस अपीलान्ट पर मनन किया। पूर्व में निरस्त किये गये नामान्तकरण संख्या 362 के निर्णय की पालना आदिनांक नहीं होने के बावजूद नामान्तकरण संख्या 30 दिनांकित 10.06.2018 खोला गया है। जो कि गलत एवं निराधार है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकार नामान्तकरण संख्या 30 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार फ़तेहपुर को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 362 दिनांक 02.03.2006 व नामान्तकरण संख्या 30 दिनांकित 10.06.2018 निरस्त किये जाकर सभी पक्षों को सुनकर नामान्तकरण पुनः स्वीकृत किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, फतेहपुर एवं सरपंच ग्राम पंचायत बीबीपुर छोटा को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)